न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष संख्या– 39, लखनऊ।

मूल वाद सं०– 1698/2024

मैसर्स मोपेड हाउस प्रा० लि० बनाम मैसर्स कमल बैटरी सर्विस सी एवं अन्य।

15.07.2026

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02 व 03 पेश हुई। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02 व 03

वाद बिन्दु संख्या 02 इस आशय का विरचित है कि, "क्या दावा वादी अल्पमूल्यांकित है? " व वाद बिन्दु 03 इस आशय से विरचित किया गया है कि, "क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है? "

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर विरचित किया गया है, जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली व मुंसरिम आख्या के अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद **वास्ते पैसा वसूली** की डिक्री के अनुतोष हेतु योजित किया गया है और वादी द्वारा वादपत्र में वाद का मूल्यांकन **₹1,67,873.57/–** किया गया है व उसी के अनुसार वाँछित न्यायशुल्क अदा किया गया है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा में उक्त वाद बिंदु पर आपत्ति किया गया है, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नही किया है जिससे यह साबित हो कि वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि वाद का मूल्यांकन वादी द्वारा याचित अनुतोष एवं उसके अभिकथनों के आधार पर किया जायेगा इस प्रकार विपरीत साक्ष्य के अभाव में वादी द्वारा किया गया मूल्यांकन ही स्वीकार किया जायेगा।

अतः सुनने व पत्रावली के अवलोकन से व मुंसरिम आख्या के अवलोकन से वाद का मूल्यांकन सही है व उस पर अदा किया गया न्याय शुल्क पर्याप्त है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या 02 व 03 वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनाँक **17.08.2026** को पेश हो

(रत्न शेखर निर्मल)
अपर सिविल जज (जू०डि०)
कक्ष संख्या– 39, लखनऊ।

(ID No: UP3742)